पेगासस पर न्यायालय का आदेश अभी भी काफी नहीं।

लेखक - सुहृत पार्थसारथी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

01 नवम्बर, 2021

ऐसे कई मामलें है जिन्हें बाहरी पैनल की नियुक्ति के साथ कमजोर कर दिया गया है, बदले में नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किया गया है।

27 अक्टूबर को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरोपों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की है जिनमे दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने भारत के नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल उपकरणों में अपनी पहुंच बनाने और जासूसी करने के लिए मोबाइल फोन स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग किया था। कोर्ट के इस निर्देश की प्रशंसा की गई है। देखा जाए तो अदालत की घोषणाओं में बहुत कुछ है, लेकिन उसका आदेश अभी भी न्याय की परिभाषा पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है।

अभी भी कोई निश्चित गारंटी नहीं

पेगासस के उपयोग की पुष्टि या खंडन करने के लिए एक उचित हलफनामा दायर करने के लिए सरकार की मनाही का सामना करते हुए, अदालत ने सोचा होगा कि, राज्य को सबूत प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने वाला एक रिट जारी करने से सरकार पर दबाब पड़ेगा। इसके बजाय, न्यायालय ने तथ्यों की खोज की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की एक समिति पर छोड़ दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस सरकार ने अदालत के सामने चुप रहने का फैसला किया था, वह अब किसी बाहरी पैनल के सामने किसी तरह से अपने आप को सफाई के साथ सामने रखेगी। तो सवाल यह है कि अगर सरकार सहयोग करने में विफल रहती है, तक कोर्ट को क्या करना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने वैश्विक मीडिया के एक संघ द्वारा की गई जांच पर भरोसा किया। इन रिपोर्टों से पता चला कि भारत के सैकड़ों फोन नंबर लगभग 50,000 से अधिक नंबरों की वैश्विक सूची में दिखाई दिए थे जिन्हें इजरायली फर्म, एनएसओ समूह के ग्राहकों द्वारा निगरानी के लिए चुना गया था। एनएसओ ने तब से पुष्टि की है कि इसके स्पाइवेयर मुख्यत: आतंकवाद से लड़ने के उद्देश्य से केवल सरकारों को बेचे जाते हैं, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फोरेंसिक विश्लेषण ने कम से कम 10 भारतीयों के उपकरणों पर पेगासस की उपस्थिति की पुष्टि की थी, जिनमें से कुछ अदालत के समक्ष थे।

समय-परीक्षण की रणनीति

लेकिन इस मामले में भी वही चिर-परिचित चुनौतियों का एक सेट प्रस्तुत किया। अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में, सरकार ने अपने सबसे प्रिय बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई दी। इसने प्रभावी रूप से दावा किया कि देश की सुरक्षा के हितों का मतलब है कि यह अदालत को यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने वास्तव में सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है या नहीं। इसके अलावा, सरकार ने न्यायालय को यही बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में आगे की जाँच नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसी रणनीति है जिसने अतीत में भी सरकार के लिए अच्छा काम किया है। कथित तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में, न्यायालय ने कार्यपालिका के प्रति असाधारण स्तर का सम्मान दिखाया है।

इन मामलों में एक वाधा और सामने आई वह है इतने सारे तथ्यों में कौन सा सही है। याचिकाकर्ता लगातार हो रही अवैध निगरानी की घटना पर जोर दे रहे थे। वहीं सरकार उनके दावों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। ऐसे में फिर कोर्ट सच्चाई को कैसे उजागर करेगा? हाल के दिनों में, न्यायालय ने राज्य के खिलाफ किए गए दावों को इस आधार पर खारिज करने की ओर रुख किया है कि वह एक पूर्ण परीक्षण किए बिना एक दलील की सत्यता का फैसला नहीं कर सकता है, जिसका आचरण संवैध ानिक अदालतों की जमानत से परे है।

अब, कुछ हद तक, एक समिति नियुक्त करने के अपने आदेश में, न्यायालय ने पूर्ण सम्मान की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मंत्र सरकार के लिए कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है, कि न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति को केवल इसलिए नकारा नहीं जाता है क्योंकि राज्य यह दावा करता है कि देश की सुरक्षा दांव पर है।

जवाबदेही का एक स्पष्ट रास्ता

यह आदेश सही ढंग से मानता है कि किसी व्यक्ति की जासूसी करना, चाहे वह राज्य द्वारा हो या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा, निजता के उल्लंघन के बराबर है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी निगरानी अवैध है। लेकिन, जैसा कि आदेश समाप्त होता है, मौलिक अधिकार पर कोई भी सीमा आनुपातिक और साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। "कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में," न्यायाधीशों ने कहा, "संविधान के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके, पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

इस प्रकार न्यायालय ने प्रभावी रूप से माना है कि निगरानी के सही है या नही इसका परीक्षण चार आधारों पर किया जाना चाहिए: पहला, कार्रवाई को कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए; दूसरा, राज्य को न्यायालय को यह दिखाना होगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका उद्देश्य वैध सरकारी उद्देश्य है; तीसरा, राज्य को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास कम दखल देने वाले साधन उपलब्ध नहीं हैं; और, अंत में, राज्य को यह स्थापित करना चाहिए कि लगाई गई सीमा और उपाय के तहत लक्ष्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध है।

परीक्षण सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। लेकिन इन मानकों के सुसंगत अनुप्रयोग के लिए न्यायालय को तथ्यों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आमतौर पर, विशेषाधिकार कार्यवाही में, हलफनामे पर साक्ष्य लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय के समक्ष पक्षकार शपथ, लिखित बयान के माध्यम से तथ्यों का अपना संस्करण प्रस्तुत करते हैं। अदालत तब कटौती पर पहुंचने के लिए सबूतों की सराहना करती है।

पेगासस से संबंधित मामलों में, प्रत्येक याचिकाकर्ता ने तथ्यों के एक समूह की पुष्टि की, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन – पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेताओं तक घुसपैठ के अधीन थे। जवाब में, सरकार ने "सीमित हलफनामे" के रूप में वर्णित के अलावा कुछ भी दाखिल करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं के मामले के सामान्य खंडन के अलावा, अदालत ने पाया कि इस हलफनामे में "मामले के तथ्यों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।"

कोर्ट के लिए

आदेश में कहा गया है कि सरकार की ओर से हलफनामा दायर करने के स्पष्ट इनकार से प्रथम दृष्टया यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के दावों में सच्चाई है। इस प्रकार सरकार के इनकार के बाद शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि न्यायालय राज्य से उत्तर मांगने के लिए विशिष्ट प्रश्नों का एक सेट तैयार करेगा। इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: क्या सरकार ने पेगासस को खरीदा था? क्या इसने भारतीय नागरिकों के फोन पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया? यदि हां, तो क्या ऐसा प्रयोग कानून द्वारा समर्थित था? वे कौन से कारण थे जिनके लिए उपयोग को अधिकृत किया गया था?

अगर इन सवालों के जवाब अभी भी सामने नहीं आ रहे थे, तो साक्ष्य कानून के प्राथमिक सिद्धांत न्यायालय को "प्रतिकूल निष्कर्ष" के रूप में जाने जाने की अनुमति देते हैं। एक पक्ष जो उसके सामने रखे गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहता है, वह केवल न्यायालय को उसके विरुद्ध तथ्य का निष्कर्ष निकालने का जोखिम उठाएगा। अगर इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के मामले को सच मान लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि मौलिक अधिकार का नाजायज उल्लंघन हुआ है। न्यायालय तब कितने भी उपाय दे सकता है: यह घोषणा कर सकता है कि सरकार गलत थी; और यह पेगासस की खरीद और उपयोग के लिए प्रासंगिक सभी सामग्रियों का खुलासा करने के लिए सरकार को बाध्य करने वाला एक रिट जारी कर सकता है।

इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि हमें एक समिति की आवश्यकता क्यों है। निश्चित रूप से, न्यायालय के पास महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह की अनुमति देने के लिए, अपने दम पर सबूत इकट्ठा करने की शक्ति है, यहां तक कि असाधारण मामलों में अनुमति देने के लिए। एक समिति अच्छी तरह से आवश्यक हो सकती है जहां साक्ष्य एकत्र करने का कार्य किसी भी तरह न्यायालय के अनुमोदन से परे है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है।

अंतत:, भविष्य में, न्यायालय को सबूत के प्रश्नों और साक्ष्य के नियमों के बारे में अधिक सावधानी से सोचना चाहिए। तदर्थ समितियां – उनके सदस्यों के रूप में स्टर्लिंग – समाधान नहीं हो सकती हैं। बाहरी पैनल की नियुक्ति पर बहुत से मामलों को बैक बर्नर में भेज दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में, नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किया जाता है।

अभी के लिए, यह उत्साहजनक है कि अदालत ने इन मामलों को अपने दायरे में रखा है। यदि यह आठ सप्ताह के समय में, जब मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया जाता है, कि सरकार देरी कर रही है या समिति को बाधित कर रही है, तो उसे अवैधता की घोषणा प्रदान करने और एक अनिवार्य आदेश जारी करने के लिए अपनी विशेषाधिकार शक्तियों का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आदेश जारी करना चाहिए जो राज्य को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करता हो। तभी निजता के मूल्यों के लिए न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का कोई सही अर्थ होगा।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. पेगासस निम्नलिखित में किस देश का स्पाइवेयर है?

(a) भारत

(b) इज़रायल

(c) चीन

(d) रूस

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Pegasus is the spyware of which of the following country?

(a) India

(b) Israel

(c) China

(d) Russia

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पेगासस मामले के माध्यम से भारत मे नागरिकों की निजता का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ है? अगर सरकार इस मामले में न्यायालय की जाँच में सहयोग नहीं करती है तो न्यायालय के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? (250 शब्द)

Q. How has the privacy of citizens been violated in India through the Pegasus case? If the government does not cooperate with the court's investigation in this matter, then what are the options available before the court? (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।